



प्रेस विज्ञप्ति

8/12/2025

पश्चिम गारो हिल्स शहर तुरा, मेघालय में

ईडी की पहली कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप-आंचलिक कार्यालय (एसजीजेडओ) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 04/12/2025 को पश्चिम गारो हिल्स में पहली बार तलाशी अभियान चलाया है, जो तुरा, मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले के सिलसिले में है। मुख्य आरोपी बोस्टन च. मारक, इस्माइल मारक, कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा हैं। इस अभियान में, उपरोक्त उल्लिखित अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित 05 परिसरों की तलाशी ली गई थी।

जीएचएडीसी के सदस्यों, ठेकेदारों और दलालों की मिलीभगत से विकास कार्यों को निष्पादित न करना; नियमों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम रूप से धन का हेरफेर करना और जीएचएडीसी के सदस्यों द्वारा अग्रिम राशि को अपने/परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में वापस प्राप्त करना, काम करने का तरीका है। कुल 28.66 करोड़ रुपये के आवंटन में से, समिति के सदस्यों ने कुछ ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए धन का हेरफेर और दुरुपयोग किया। विशेष रूप से, ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जहाँ स्वीकृत धन का 60% लागू नियमों और प्रावधानों के विपरीत, ठेकेदारों कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा को अग्रिम रूप से अवैध रूप से जारी किया गया था।

तलाशी कार्रवाई के दौरान अचल संपत्तियों और डिजिटल उपकरणों में निवेश के रूप में विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जांच में यह पाया गया कि इस्माइल मारक के निर्देश पर ठेकेदारों कुबोन संगमा और निकसेंग संगमा (ठेकेदार) के नाम पर कई चेक जारी किए गए थे। कुबोन संगमा ने बाद में पूरी राशि निकाल ली और इस्माइल मारक को सौंप दी, जबकि निकसेंग संगमा ने अपना हिस्सा सीधे निर्देशित बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया।

ठेकेदारों ने बैंकों से धन निकालने और आरोपी सदस्यों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की बात स्वीकार की है, जिससे असानंग निर्वाचन क्षेत्र के लिए जीएचएडीसी विकास निधि के विपथन (डायवर्जन) की पुष्टि हुई है। इसके अलावा, तलाशी के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के तहत आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित कई बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।